Allocation of funds during Fourth Plan

*371. SHRI SHRI CHAND GOYAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the funds and allocations demanded by the Governments of Punjab, Haryana, Himachal and Chandigarh Union Territory for development purposes in the Fourth Five Year Plan; and

(b) the cuts made by Government in the amount demanded and the reasons therefor?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). A statement indicating the position is laid on the Table of the House. The main reason for cuts is the overall constraint of resources.

Statement

(Rs. crores)

	Fourth Plan (1969-74)		
	State's/ Territory's proposal	Approved outlay	Cut
	(1)	(2)	Col. 1-2
1. Punjab	325.00	271.40	53.60
2. Haryana	262.00	190.49	71.51
3. Himachal Pradesh	235.60	94.40	141.20
4. Chandigarh	21.04	7.50	13.54

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

*372. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ;

(ख) गत वर्ष कितने सैनिक अधिकारी तथा जवान सेवा-निवृत्त हुए थे और उनमें से कितने जवानों का पुनर्वास किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं कर रही हैं ; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). 1968 में 560 अफसर और 16345 जे० सी० ओ०-अवर श्रेणी रिटायर हुए जबकि 42 अफसरों और 14311 भूतपूर्व सैनिकों को उसी वर्ष के दौरान असैनिक रोजगारों में पुनःस्थापित किया गया था। जो योजनाएं और उपाय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए हस्तगत किये गए हैं वह एक विवरण में संक्षेपतः दिए गए हैं, जो सभा के पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** LT—1544/69]

Separate Plan for Scientific and Basic Research

*373 SHRI S. K. TAPURIAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to consider the feasibility of having a much needed separate Plan for scientific and basic research, and

(b) if so, whether Government propose to constitute an experts Committee to go into the question and submit its report during the first year of the Fourth Five Year Plan?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Basic and applied scientific research is a part of our Five Year Plan. Programmes in respect of basic and applied research under major research and development organisations such as the Council of Scientific and Industrial Research, Department of Atomic Energy and the Surveys and Development Division of the Ministry of Education and Youth Services

have been separately dealt with in the Draft Fourth Five Year Plan. There are also a number of research programmes in fields such as agriculture, health & family planning and minerals and these have been covered in the Chapters relating to these sectors in the Draft Fourth Plan document. As regards overall coordination and research and development, the Committee on Science and Technology, reconstituted in 1968, advises the Government on the formulation and implementation of policies on science and technology and determination of national priorities. There is now no proposal to have a science plan as such for the country as a whole.

पाकिस्तान में भारतीय सम्पत्ति

*374. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री झा सुन्दर लाल :
श्री बलराज मधोक :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवेन सेन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण के समय पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान स्थित जिस भारतीय सम्पत्ति को जब्त कर लिया था उसको छुड़वाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत सरकार ने भारतीय सम्पत्ति को वापिस लेने के संबंध में प्रयास किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान और रूस की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने उपर्युक्त सम्पत्ति को नीलाम कर दिया है या करने वाला है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि पाकिस्तान ऐसा न करे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) से (ग)। 1965 के संघर्ष के सिलसिले में अधिगृहीत संपत्ति की वापसी के प्रश्न को भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ सक्रिय रूप से उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस बारे में बातचीत करने के लिए बार-बार कहा है, जैसा कि ताशकंद घोषणा के अनुच्छेद-आठ में सहमति प्रकट की गई है। पाकिस्तान ने अभी तक इस तरह की बातचीत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। इस बारे में पाकिस्तान के हठ से सभी मित्र देशों को सूचित कर दिया गया है जिसमें सोवियत संघ भी शामिल है।

(घ) पाकिस्तान ने इसमें से कुछ संपत्ति नीलाम कर दी है और कुछ और नीलाम करने के लिए नोटिस जारी किया है।

(ङ) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से लिखित रूप में और जबानी बार-बार यह कहा है कि वह भारतीय संपत्ति का नीलाम न करे क्योंकि वह काम गैर-कानूनी है। पाकिस्तान को चेतावनी दे दी गई है कि इस प्रकार के गैर-कानूनी ढंग से पाकिस्तान अथवा कोई और अधिकार पा लेने का अगर दावा करेगा तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा।

Air-Space Violations by Pakistan

*375. SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI A. SREEDHARAN:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of Air-space violations committed by Pakistan during the period from the 1st January, 1969 to 30th June, 1969;

(b) the figures for the corresponding period in the last year; and